



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-पी.एच.-अ.-09112021-230988
CG-PH-E-09112021-230988

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2021/कार्तिक 18, 1943

No. 543]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021/KARTIKA 18, 1943

पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय

अधिसूचना

पुदुच्चेरी, 17 फरवरी, 2021

मिसिल संख्या एफ.39-4/ 2019-सीयूआई/दि. 3.2.2021.— पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 (1985 की संख्या 53) की धारा सं. 26 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार विश्वविद्यालय-कार्यकारिणी परिषद के द्वारा, विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के साथ पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 की संविधियों में निम्नलिखित संशोधन किये जा रहे हैं :

1. किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा

i) इन संविधियों को पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय (संशोधन संबंधी) संविधि 2021 कहा जा सकता है।

ii) वे आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय, 1985 में, संविधि 36 (1) (ए) में:

(a) संविधि 36(1)(ए) में उल्लिखित "संक्रामक कुछ रोग से पीड़ित" शब्दों को हटा दिया गया है।

प्रो. अमरेश सामंतराय, कुलसचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./384/2021-22]

ध्यान दें :

(1) किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। क) यदि वह मानसिक रूप से विकसित है या बधिर-मूक है अथवा संक्रामक कुष्ठ रोग से पीड़ित है। "संक्रामक कुष्ठ रोग से पीड़ित है"- इन शब्दों को हटाया गया है।

(2) पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम- 1985 की संविधियों को पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के साथ उक्त अधिनियम के एक परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किया गया था, और इन संविधियों का अंतिम संशोधन मिसिल संख्या 39-4/2019-सीयू-1 दि 03.02.2021 के तहत किया गया था।

PONDICHERRY UNIVERSITY

NOTIFICATION

Puducherry, the 17th February, 2021

F.No F.39-4/2019-CUI/dated 03.02.2021.—In exercise of the powers by Section 26 Clause (3) of Pondicherry University Act of No.53 of 1985, the Executive Council, with the approval of the Visitor, hereby makes the following amendments further to amend the Statutes of the Pondicherry University Act 1985 namely:

1. A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of any of the Authorities of the University
 - (i) These Statutes may be called as the Pondicherry University (Amendment) Statutes 2021.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Statutes of Pondicherry University, 1985, In Statute 36(1)(a):
 - (a) The words “suffers from contagious Leprosy” mentioned in Statute **No.36 (1)(a) is removed.**

Prof. AMARESH SAMANTARAYA, Registrar (i/c)

[ADVT.-III/4/Extty./384/2021-22]

Note:

- 1) A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of any of the Authorities of the University:- (a) if he is of unsound mind or is a deaf-mute or suffers from contagious leprosy. The word “suffers from contagious Leprosy” is removed.
- 2) Statutes of the Pondicherry University Act, 1985 were published along with the Pondicherry University Act, 1985 as a Schedule annexed to that Act and were last amended F.No. 39-4/2019-CU-I , dated 03.02.2021.